रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229508
CG-DL-E-09092021-229508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943
No. 3344] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3649(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पशचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 62(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2019 और शुद्धिपत्र का.आ. 2055(अ) तारीख 25 जून 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 60 तारीख 02 जनवरी, 2020 और शुद्धिपत्र असाधारण राजपत्र संख्या 1823 तारीख 25 जून 202, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;.

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख़ 15 सितंबर, 2020 तक उपलब्द करा दी गई थी; और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों क (1) की उपधारा 6का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (4) की उपधारा 6 हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा (एल.सी.पी.एच)

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्द कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गूती		**जिला : अनंतपुरमु**		**राज्य : आंध्र प्रदेश**	
क्रमांक	**मंडल का नाम**	**गाँव का नाम**	**सर्वे नं.**	**क्षेत्रफल**	
				एकर्	**सेंट्स**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	गूती	मामाडुरु	540	00	01
2			526/C	00	01
3	गूती	एरागुड़ी	80/C	00	03
4			71/A	00	07
5	गूती	अनगनीदुड्डी	151	00	11
6			117/A	00	01
7	गूती	पेद्दोड़ी	488	00	01
8			157/3	00	02
9	गूती	रजापुरम	131/1	00	01
10	गूती	खोज्जेपल्ली	173	00	02

11	गूती	बसीनेपल्ली	227/A	00	01
12			235	00	03
13			90	00	06
14			77	00	01
15			74	00	03
16	गूती	बेतापल्ली	292/B	00	01
17			138/A	00	01
18			136/E	00	02
19			130/D	00	01
20			129	00	01
21			104	00	01
22			103	00	01
23			8	00	01

[फा. सं . आर-11025(15)/10/2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3649(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.62 (E) dated 27th December 2019 and Corrigendum S.O. No. 2055(E) dated the 25 June 2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.60 dated the 02th Jan. 2020 and Corrigendum Extraordinary Gazette of India No.1823 dated the 25 June.2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 15 September 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Gooty		**Dist: Ananthapuramu**		**State: Andhra Pradesh**	
Sl. No.	**Name of the Mandal**	**Name of the Village**	**Survey No.**	**Area**	
				Acres	**Cents**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Gooty	Mamaduru	540	00	01
2			526/C	00	01
3	Gooty	Erragudi	80/C	00	03
4			71/A	00	07
5	Gooty	Aniganidoddi	151	00	11
6			117/A	00	01
7	Gooty	Peddoddi	488	00	01
8			157/3	00	02
9	Gooty	Rajapuram	131/1	00	01
10	Gooty	Khojjepalle	173	00	02
11	Gooty	Basinepalle	227/A	00	01
12			235	00	03
13			90	00	06
14			77	00	01
15			74	00	03

16	Gooty	Bethapalle	292/B	00	01
17			138/A	00	01
18			136/E	00	02
19			130/D	00	01
20			129	00	01
21			104	00	01
22			103	00	01
23			8	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.09 14:27:05 +05'30'